प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 27.11.2025

सार्वजनिक सूचना सं - 61/2025

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18A के अंतर्गत सीमा शुल्क निकासी के उपरान्त प्रविष्टियों में संशोधन।

आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर तथा अन्य सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18A के प्रावधानों, सीबीआईसी परिपत्र संख्या 26/2025–सीमा शुल्क दिनांक 31.10.2025 तथा अधिसूचना संख्या 70/2025– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से जारी सीमा शुल्क (मंजूरी उपरान्त प्रविष्टियों के स्वैच्छिक पुनरीक्षण) विनियम, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. बोर्ड ने अधिसूचना सं. 70/2025– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30.11.2025 के माध्यम से सीमा शुल्क (मंजूरी उपरान्त प्रविष्टियों का स्वैच्छिक पुनरीक्षण) विनियम, 2025 अधिसूचित किए हैं, जिनके अंतर्गत आयातकों या किसी अधिकृत व्यक्ति को उस बंदरगाह पर, जहाँ सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था, पूर्व में एक ही बिल ऑफ एंट्री के अंतर्गत की गई प्रविष्टियों के पुनरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। उक्त विनियमों में प्रविष्टियों के इलेक्ट्रॉनिक आवेदन के माध्यम से पुनरीक्षण की प्रक्रिया तथा संशोधित प्रविष्टियों के सत्यापन का प्रावधान भी निहित है।

3. चूँकि प्रविष्टि के पुनरीक्षण में पूर्व में की गई प्रविष्टि के सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन का उपबंध निहित है, अतः बोर्ड ने अधिसूचना सं. 68/2025– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18A की उपधारा (4) के लिए उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क को उपयुक्त अधिकारी के रूप में नामित किया है।

4. जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18A की उपधारा (5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 18A के अंतर्गत प्रविष्टि/प्रविष्टियों का पुनरीक्षण उन मामलों में अनुमन्य नहीं होगा, जहाँ सीमा शुल्क लेखा-परीक्षा, तलाशी, जब्ती अथवा जाँच की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं इसकी सूचना संबंधित पक्ष को दे दी गई है; तथा उन मामलों में भी नहीं, जहाँ धारा 17 के अंतर्गत शुल्क का पुनर्मूल्यांकन अथवा धारा 18 के अंतर्गत शुल्क का निर्धारण किया जा चुका है। इस संबंध में अनुलग्नक – I में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा स्व-घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

5. इस संदर्भ में, दिनांक 09.09.2022 को जारी अधिसूचना सं. 74/2022- सीमा शुल्क (एन.टी.) द्वारा जारी IGCR (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) नियम, 2022 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपयोग किए गए अथवा दोषपूर्ण माल की स्वैच्छिक शुल्क तथा ब्याज सहित निकासी के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचना सं. 26/2023 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 01.04.2023, जो EPCG (Export Promotion Capital Goods) से संबंधित है, तथा अधिसूचना सं. 21/2023- सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 01.04.2023 जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से संबंधित है, का भी संदर्भ लिया जाता है, जिनमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व पूर्ण नहीं किया जाता, आयातक को शुल्क सहित ब्याज का भुगतान करना होगा। बोर्ड/केंद्र सरकार द्वारा ऐसे मामलों के लिए जहाँ दायित्व पूर्ण नहीं किया गया है, पहले से ही अलग प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामलों का वर्तमान उपचार यथावत रहे तथा ऐसे मामलों में प्रविष्टि के संशोधन की अनुमति न दी जाए, अधिसूचना सं. 71/2025- सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30.10.2025 बोर्ड द्वारा जारी की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे मामलों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18A के उपधारा (1) के दायरे से बाहर रखा गया है।

6. बोर्ड ने अधिसूचना सं. 69/2025 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से शुल्क का उद्ग्रहण (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम, 2025 [Levy of Fee (Customs Documents) Amendment Regulations, 2025] जारी किए हैं, जिनमें सीमा शुल्क (निकासी के बाद प्रविष्टियों का स्वैच्छिक संशोधन) विनियम, 2025 [Customs (Voluntary Revision of Entries Post Clearance) Regulations, 2025] के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पर ₹1000/- (रुपये एक हज़ार मात्र) का शुल्क निर्धारित किया गया है।

7. संशोधन आवेदन दायर करने हेतु अपनाए जाने वाले चरणों का विवरण प्रदान करने वाली एक विस्तृत सलाह (Advisory) डीजी सिस्टम्स द्वारा जारी की जाएगी। इस विषय से संबंधित अधिक विवरण के लिए, डीजी सिस्टम्स/आईसीईगेट वेबसाइट द्वारा जारी की जाने वाली विस्तृत सलाहों का संदर्भ लिया जा सकता है। प्रविष्टि/प्रविष्टियों के संशोधन हेतु आवेदन दर्ज करते समय यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे तत्काल डीजी सिस्टम्स को अवगत कराया जाए।

8. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होने की स्थिति में इसे अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, टेक्निकल (Import), हवाई माल परिसर, मुंबई के संज्ञान में लाया जा सकता है (ईमेल - pro.acc-sahar@gov.in)। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी हेतु संबंधित आयातक हमारे तुरंत सुविधा केंद्र (TSK - Turant Suvidha Kendra) से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण: ईमेल - tsk.accmumbaizone3@gov.in, दूरभाष - 022-26816696।

मनीष चन्द्रा

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.

2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
3. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
4. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात और निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)
8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि

अनुलग्नक-I

घोषणा (आयातक द्वारा हस्ताक्षरित)

मैं/हम घोषणा करते हैं कि:

कोई मामले नहीं हैं जहां अध्याय XIIA के तहत कोई ऑडिट या अध्याय XIII के तहत कोई खोज, जब्ती या सम्मन मेसर्स ..... के खिलाफ शुरू किया गया है और अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है;

रिफंड की आवश्यकता वाले कोई भी मामले जहां उचित अधिकारी ने धारा 17 के तहत शुल्क का पुनर्मूल्यांकन किया है या धारा 18 के तहत या धारा 84 के तहत शुल्क का आकलन किया है, मेसर्स ..... के खिलाफ पंजीकृत नहीं है।

मेसर्स ..... के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है जिसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मुद्दे से संबंधित बुक किया गया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि:

मेसर्स ..... सीमा शुल्क (मंजूरी के बाद प्रविष्टियों का स्वैच्छिक संशोधन) विनियम, 2025 में निर्दिष्ट सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18ए के तहत प्रवेश (प्रवेश) के स्वैच्छिक संशोधन के लिए पात्र होना आवश्यक है।